दिनांक–07.05.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न (परिशिष्ट–1)।

1. CSG में वर्त्तमान में अधिसूचित सदस्यों के अतिरिक्त निम्न सदस्यों को भी सम्मिलित करने एवं एतद् संबंधी आदेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

   (i) संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण)

   (ii) संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)

   (iii) अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता

2. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं–

क्र०	विषय / कार्य विवरणी	निर्णय
1.	राज्य के बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	प्रधान सचिव ने संबंधित प्रक्रिया के निर्धारण हेतु संलेख 14.05.2013 से पहले प्रस्तुत करने का आदेश दिया। (EIC-I)
2.	वर्ष 2013–14 में सुवर्णरेखा नदी के बाँयें तट पर लक्ष्मण नगर गाँव के पास बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	वर्त्तमान प्रस्ताव अस्वीकृत। अभियंता प्रमुख के निदेश के आलोक में संशोधित प्रस्ताव 14.05.2013 तक दिया जाये। इस क्षेत्र में कटाव निरोधक कार्यों से संबंधित Master Plan 28.05.2013 को प्रस्तुत किया जाये। (CE - Chandil)
3.	उड़नदस्ता जाँच का रिपोर्ट एवं रिपोर्ट का प्रपत्र।	अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता प्रत्येक CSG की बैठक में कम से कम 2 जाँच रिपोर्ट Power Point Presentation के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट का प्रपत्र 14.05.2013 के पूर्व Finalize कर लिया जाये।
4.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	14.05.2013 के पूर्व संलेख तैयार हो जाये। (EIC - II)
5.	झालको को 20 हे० से कम सिंचाई योजनाओं के निर्माण से विमुक्ति।	झालको 20 हेक्टेयर से कम पटवन करने वाली योजना, कुँआ, तालाब के निर्माण का कार्य नहीं करेगा। इस आशय का सरकारी आदेश निर्गत किया जाये। (EIC - II)
6.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	14.05.2013 तक कार्य शुरू नहीं होने की स्थिति में अभिकर्त्ता को हटाकर बैंक गारण्टी जब्त की जायेगी। EIC - II स्वयं स्थल निरीक्षण कर एक प्रतिवेदन 14.05.2013 की बैठक में देंगे। (EIC - II)

7.	पुनासी जलाशय योजना की प्रगति हेतु कार्रवाई।	पिछले दिनों पारित कोर्ट का आदेश मंगा कर देखा जाये एवं समयावधि विस्तार शीघ्र दिया जाये। (EIC - I)
8.	श्री मोद नारायण मंडल मामले से संबद्ध निर्णय।	DC को निदेश दिया जाये कि वे अपराधिक मामले में कार्रवाई करें। (JS(Vigi))
9.	विभागीय अभियंताओं की सेवा वाह्य विभाग को भेजने से संबद्ध निर्णय।	प्रतिनियुक्ति के समय प्रतिनियुक्ति की शर्त्तें निर्धारित कर प्रतिनियुक्त किया जाये। प्रतिनियुक्त अवधि में अनियमितता पर कार्यवाही, वही विभाग करे, जहाँ प्रतिनियुक्त है। इस हेतु एक संलेख सरकार के अनुमोदन हेतु लाया जाये। (JS(V))
10.	स्वीकृत्यादेश की प्रगति एवं आवंटन निर्गत की प्रक्रिया	सभी स्वीकृत्यादेश 14.05.2013 तक निर्गत कर दिये जायेंगे। प्रथम आवंटन अर्द्धवार्षिक अवधि हेतु किया जाये एवं उपयोगिता के आधार पर शेष निर्गम त्रैमासिक किया जाये। जिस निविदा के विरूद्ध कार्य आरम्भ न हुआ हो, उसके लिये आवंटन निर्गत न किया जाये। (EIC – I/II)
11.	Constultatns का Empannelment	दिनांक 14.05.2013 तक प्रक्रिया पूरी की जाये।
12	ERM प्रोजेक्ट्स के DPR बनाने का कार्य	Consultants का Panel तैयार होने पर consultants की मदद से किया जायेगा। (EIC – I/II)
13.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	इस संबंध में जल्द से जल्द उचित निर्णय निविदा समिति द्वारा लिया जाये। जिससे कि वर्त्तमान वर्ष में वर्षा के पूर्व के Working Season में कार्य हो सके।
14.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	आई०आई०टी०, रूड़की के प्रोफेसर नयन शर्मा का भ्रमण 12 से 15 मई के बीच प्रस्तावित है। कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि 30 माह है। संबंधित अभियंता यथा समय Proportionate Progress को मोनिटर करते रहे। (CE, Ranchi)
15.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	परियोजना से संबद्ध Data 14.05.2013 तक CWC, दिल्ली को संप्रेषित किया जाये। **(Nodal Officer, Kanhar HPC)**

15.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	दिनांक 21.05.2013 को Empanelled Architects द्वारा Presentation का निदेश दिया गया। (CE, Ranchi)
16.	धुर्वा में Scrap Metirial की नीलामी	14.05.2013 तक lifting शुरू हो जाये। update अगली बैठक में दिया जाये।
17.	वाल्मी का गठन	अगली बैठक में प्रगति बतायें। (CE, Mon.)
18.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	14.05.2013 की अगली बैठक में मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण को Presentation देने का निर्देश। (CE, CDO)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

08/5/13

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..... / राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / देवघर / मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / अग्रिम योजना, राँची / रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी) / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) / संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..... / राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख–I / अभियंता प्रमुख–II, / परामर्शी–I / परामर्शी–II, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3 / प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..... / राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक 2/PMC/CSG-69/2011 – 388 दिनांक 08.05.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, बेवसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)